न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 332/2022 दायर दिनाँक 05.08.2022

वादी

1. चुनाराम पुत्र मांगीलाल उम्र 44 वर्ष जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. सरजु देवी पत्नी गोमाराम
2. रामचन्द्र पुत्र बजरंगलाल जातिगण मेघवाल निवासीगण खरेश तह0 डीडवाना
3. चम्पादेवी पत्नी रामलाल
4. नाबालिग प्रियंका पुत्री गडू उर्फ सोनु संरक्षक दादी केसरी।
5. सुरेश पुत्र चौथाराम
6. मदनाराम पुत्र मांगीय
7. मोडूराम पुत्र मांगीय
8. राजस्वरूप पुत्र मांगीय
9. रमेश पुत्र मांगीय
10. शंकर पुत्र जस्सा
11. दलिप पुत्र जस्सा
12. राजू पुत्र जस्सा समस्त जातिगण सांसी निवासीगण खरेश तह0 डीडवाना
13. गोपालराम पुत्र चन्द्राराम जाति रेगर निवासी खरेश तह0 डीडवाना
14. केसरी पत्नी जसा जाति सांसी निवासी खरेश तह0 डीडवाना
15. तहसीलदार डीडवाना
16. नाथुराम पुत्र भैरूराम जाति मेघवाल निवासी दताऊ तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन राज0

दावा बाबत्

रास्ता तरमीम, घोषणा खातेदारी

रेकर्ड दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

1. श्री प्रितम सिंह वकील वादी।
2. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 13.08.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि ग्राम खरेश पटवारी हल्का खरेश भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र खुनखुना के वर्तमान खेत खसरा सं0 770 रकबा 1.6700 हैक्टे0 मौजा सरहद खरेश तहसील डीडवाना में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 14 खातेदार व काबिज काश्तकार है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 14 हाल के समय में मौके पर खेत खसरा सं0 770 रकबा 1.6700 हैक्टे0 में से अप्रार्थीया सरजू देवी के हिस्से की भूमि के पास खोजास सड़क से लेकर प्रार्थी के खरीद सुदा खेत खसरा सं0 1178/769 में आने जाने के लिए मौके पर रास्ता चालू है। जिस रास्ते की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है जो रास्ता मार्क ए से बी के रूप में अनुसूचि अ में दर्शाया गया है जो कि मौके की स्थिति है। वाद पत्र के साथ में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूचि अ वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

यह है कि वाद पत्र के साथ में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूचि अ में दर्ज रेकर्ड में कटाणी रास्ता घोषित किया जाना लाजमी है। खेत में आने–जाने के लिए रास्ता बंटवारानुसार है उपं मौके पर रास्ता चालू है।

यह है कि वाद हैतुक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीग[illegible] वर्तमान खेत खसरा सं0 770 रकबा 1.6700 हैक्टे0 भूमि में से नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी म[illegible]र रास्ता चालू रहा है प्रार्थी की भूमि में अन्य कोई आने जाने का[illegible] रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:54:57 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

यह है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वर्तमान खेत खसरा सं0 770 रकबा 1.6700 हैक्टे0 में अनुसूचि "अ" के अनुसार दर्शित मार्क ए से बी को नक्शा अनुसार कटाणी रास्ते को कायम की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती. नक्शे में तरमीम करवाने की सादर आदेश फरमावें तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण का बंटवारा मौके अनुसार अलग–अलग बंटवारा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3, 4, 5, 11 ता 14, 16 की तरफ से वकील श्री मो0 शरीफ शैरानी ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2, 5, 13, 14, 16 का राजीनामा पेश हुआ। जिसमे वादी की पहचान वकील श्री प्रितम सिंह व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मो0 शरीफ शैरानी ने की। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा राजीनामा अनुरूप दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद व राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया ग्राम खरेश पटवारी हल्का खरेश भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र खुनखुना के वर्तमान खेत खसरा सं0 770 रकबा 1.6700 हैक्टे0 भूमि के वादी तथा प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वादी बाहमी बंटवारा के अनुसार विधिवत बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। प्रतिवादीगण बाहमी बन्टवारा की पुष्टि में राजीनामा व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। प्रश्नगत भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 14 व 16 सहखातेदार है। सहखातेदार होने के कारण वादी बन्टवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है। शेष प्रतिवादीगण को वाद स्वीकार है।

अतः वादी व प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 5, 13, 14, 16 की तरफ से प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर ग्राम खरेश पटवारी हल्का खरेश भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र खुनखुना के वर्तमान खेत खसरा सं0 770 रकबा 1.6700 हैक्टे0 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त कर वादी व प्रतिबादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा दिनांक 13.06.2024 निर्णय व डिक्री का भाग होगा।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.08.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:54:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**
राजस्व वाद संख्याः 332/2022 दायर दिनाँक 05.08.2022

वादी

1. चुनाराम पुत्र मांगीलाल उम्र 44 वर्ष जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. सरजु देवी पत्नी गोमाराम
2. रामचन्द्र पुत्र बजरंगलाल जातिगण मेघवाल निवासीगण खरेश तह0 डीडवाना
3. चम्पादेवी पत्नी रामलाल
4. नाबालिग प्रिंयका पुत्री गडू उर्फ सोनु संरक्षक दादी केसरी।
5. सुरेश पुत्र चौथाराम
6. मदनाराम पुत्र मांगीय
7. मोडूराम पुत्र मांगीय
8. राजस्वरूप पुत्र मांगीय
9. रमेश पुत्र मांगीय
10. शंकर पुत्र जस्सा
11. दलिप पुत्र जस्सा
12. राजू पुत्र जस्सा समस्त जातिगण सांसी निवासीगण खरेश तह0 डीडवाना
13. गोपालराम पुत्र चन्द्राराम जाति रेगर निवासी खरेश तह0 डीडवाना
14. केसरी पत्नी जसा जाति सांसी निवासी खरेश तह0 डीडवाना
15. तहसीलदार डीडवाना
16. नाथुराम पुत्र भैरूराम जाति मेघवाल निवासी दताऊ तहसील लाडनूं जिला डीडवाना—कुचामन राज0

दावा बाबत्
रास्ता तरमीम, घोषणा खातेदारी
रेकर्ड दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनाँक 13.08.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रितम सिंह वकील वादी व श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील प्रतिवादीगण की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर ग्राम खरेश पटवारी हल्का खरेश भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र खुनखुना के वर्तमान खेत खसरा सं0 770 रकबा 1.6700 हैक्टे0 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा व नजरी नक्शा दिनांक 13.06.2024 निर्णय व डिक्री का भाग होगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग.......... बाबत.......... [illegible] तारीख की अदा करें। खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........—......... आज तारीख [illegible].08.2024 को सरे इजलास में बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज [illegible] जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:54:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:54:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner